R 1445-19-03

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
जिला-भिण्ड

प्रकरण क्रमांक /2003 निगरानी-(दीवानी)

1. नारायण दास पुत्र श्री बैजनाथ
2. हिम्मत सिंह पुत्र श्री बैजनाथ
निवासी ग्राम बिछरा तेहसील लहार
जिला भिण्ड
3. महिला विजय कुंवर पुत्री बैजनाथ पत्नी श्री रामशरण निवासी खुंद तहसील लहार
4. महिला रामश्री पुत्र बैजनाथ पत्नी श्री दयाराम निवासी - ग्राम आलमपुर तेहसील लहार जिला भिण्ड
5. महिला कमला पुत्री बैजनाथ पत्नी श्री सोबरन सिंह निवासी राछरा तेहसील भाण्डेर जिला दतिया
(म०प्र०)

...निगरानीकतागण
आवेदकगण

बनाम

रामसेवक दत्तक पुत्र श्री पन्नालाल फौत वारिश

1. श्रीमती अवधरानी पत्नी स्व. रामसेवक कारव
2. उमराव सिंह पुत्र स्व. रामसेवक
3. सज्जन सिंह पुत्र स्व. श्री रामसेवक
4. बलबहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री रामसेवक
5. बेदही शरण पुत्र स्व. श्री रामसेवक
6. मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री रामसेवक
7. श्रीमती मिथलादेवी पुत्री स्व. श्री रामसेवक पत्नी श्री लल्लू सिंह कारव

29 SEP 2003

Xxxix(a)-BR(H)-11

2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1445-तीन/03 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
6-4-16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क्र0 121/2002-03 अपील में पारित आदेश दि0 30-7-2003 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि ग्राम विडरा स्थित खाता क्रमांक 52 पर रामसेवक दत्तक पुत्र पन्नालाल कौरव की कुल किता 36 कुल रकबा 36.14 एकड़ बंदोवस्त के वाद कुल किता 29 कुल रकबा 14.41 हैक्टर भूमि है जिस पर नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी ने प्रकरण क्रमांक 757/2001-02 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 20-5-2002 से आवेदकगण का कब्जा खसरे में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध रामसेवक दत्तक पुत्र पन्नालाल कौरव ने अनुविभागीय अधिकारी, लहार/मिहोना/रोन के समक्ष अपील क्रमांक 112/2001-02 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, लहार/मिहोना/रोन ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 10-3-2003 पारित किया तथा अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 121/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-7-2003 से अपील स्वीकार की गई है एंव	

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10–3–03 तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–5–2002 निरस्त किया गया है।

निगरानी में विचार योग्य बिन्दु है कि क्या तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायव तहसीलदार किसी कास्तकार की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा दर्ज करने के आदेश देने हेतु सक्षम हैं ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 114,115,116 तथा 121 – इन धाराओं के अधीन निजी भूमिस्वामी की भूमि पर आधिपत्य दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता और न ही आधिपत्य दर्ज किया जा सकता है। (चंदन सिंह विरुद्व कृपाल सिंह 2006 रा.नि. 104 से अनुसरित)

स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी व्दारा प्रकरण कमांक 757/2001–02 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2002 से कब्जा दर्ज करने हेतु दिया गया आदेश त्रृटिपूर्ण व अधिकारिता–रहित है जिसे अनुविभागीय अधिकारी, लहार/मिहोना/रोन ने अपील कमांक 112/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 10–3–2003 से स्थिर रखने की त्रृटि करने के कारण विद्वान अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्र0क0 121/2002–03 अपील में पारित आदेश दि0 30–7–2003 से निरस्त कर न्याय प्रदान किया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 121/2002–03 अपील में पारित आदेश दि0 30–7–2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य